न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **294 / 2025** दायर दिनाँक **04.08.2025**

वादीनी		**प्रतिवादी**
1.प्रेमाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी बांठडी तहसील छोटीखाटू जिसके आम मुख्त्यार सिल्मुदीन पुत्र गनी खां जति शैरानी निवासी हमीदपुर बांठडी तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार छोटीखाटू 2. ग्राम पंचायत बींचावा

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री मो. शरीफ शेरानी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी का भूखण्ड खसरा संख्या 331 रकबा 0.0200 है. बारानी जिसके पुराने खसरा संख्या 522 / 159 रकबा 0.02.10 गै.मु.आबादी वाके सरहद बाठडी पटवार हल्का बिंचावा में आया हुआ है जो वादी की संयुक्त खातेदारी एवं हक अधिकार व कब्जे में है। उक्त खसरा नम्बर पुराना 522 / 159 रकबा 0.08.10 बिस्वा गैरमुमकीन आबादी थी जिसमें से 0.0600 बिस्वा भूमि गै. मु. सडक में चली गई, जिसके खसरा नम्बर 695 / 522 है। उक्त जमीन में से बची जमीन 522 / 159 रकबा 0.02.10 बिस्वा गै.मु.आबादी रही। जिसमें नई पेमाईश में उक्त जमीन के खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0200 है. भूमि की किस्म बारानी प्रथम कर दिया जबकि उक्त भूखण्ड की किस्म गै.मु. आबादी थी व है। वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0200 है. की भूमि में गलत किस्म बारानी–1 हो गया, जबकि उक्त खसरा की भूमि गै.मु.आबादी की है। वादी की उक्त खातेदारी की भूमि में किस्म बारानी प्रथम होने के कारण अत्यधिक असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादी के उक्त खेत खसरा नम्बर की भूमि की किस्म में बारानी प्रथम के स्थान पर किस्म गै.मु.आबादी दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहता है। इस हेतु यह वाद पेश किया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0200 है. बारानी 1 वाके सरहद बांठडी में किस्म बारानी 1 के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन [illegible] किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया [illegible]

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामीली पर प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक भू.अ./20[illegible]/2186 दिनांक 26.12.2025 [illegible] द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:43:35 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0200 है. बारानी 1 वाके सरहद बांठडी में किस्म बारानी 1 के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बांठडी के खसरा संख्या 522/159 रकबा 0.08.10 बीघा गै.मु.आबादी जो कि सांवता कालू पि. मांगीया वगैरह जाति मेघवंशी के शामलाती खातेदारी में दर्ज था। उक्त खसरा संख्या 522/159 में से 0.06 बीघा गै.मु.सडक, सडक एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नाम दर्ज है। शेष भूमि खातेदारों के नाम दर्ज है। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 522/159 के नये नं. 331 रकबा 0.0700 है. की किस्म गै.मु.आबादी की जगह बारानी 1 दर्ज कर दी है। जबकि पूर्व की खतौनी में उक्त खतौनी में खसरा संख्या की भूमि गै.मु.आबादी दर्ज है जिसको गै.मु. आबादी दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद बांठडी पटवार हल्का बींचावा के खसरा नम्बर 331 रकबा 0.0200 है. भूमि की किस्म बारानी–1 के स्थान पर गै.मु.आबादी दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:43:35 IST
Reason: SelfAttested